छात्र-संघ

संविधान

संस्था का नाम : महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र–संघ

कार्य क्षेत्र : महाविद्यालय परिसर

उद्देश्य : महाराणा प्रताप छात्र–संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होगें

1. छात्रों की समस्त सृजनात्मक क्षमताओं की पहचान कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
2. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं परिसर संस्कृति को बनाये रखने में सहयोग करना।
3. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक के रूप में कार्य करना।
4. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक देश–काल–परिस्थिति के अनुरूप इस महाविद्यालय को आधुनिक गुरूकुल के रूप में विकसित करने में सहयोग करना।
5. महाराणा प्रताप महाविद्यालय को भारत की अग्रणी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने में सहयोग करना।

महाराणा प्रताप महाविद्यालय छात्र–संघ की कार्यकारिणी का स्वरूप –

क्र.सं.	पद	संख्या	पदेन / चुनाव
1.	मुख्य संरक्षक	एक	प्रबन्धक
2.	संरक्षक	एक	प्राचार्य
3.	निदेशक	एक	अधिष्ठाता छात्र कल्याण
4.	अध्यक्ष	एक	छात्र / छात्राओं के द्वारा चुनाव के आधार पर
5.	उपाध्यक्ष	एक	,,
6.	महामंत्री	एक	,,
7.	पुस्तकालय मंत्री	एक	,,
8.	सदस्य	सभी विषयों के सभी वर्गों की संख्या के बराबर। वाणिज्य का प्रत्येक समूह एक विषय माना जायेगा।	छात्र / छात्राओं में से योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शिक्षक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर 5 अंक मे से दिये गये अंक के योग के आधार पर।

नियमावली

महाराणा प्रताप महाविद्यालय छात्र–संघ के अंग –

'छात्र–संघ' के दो अंग होगें – क– कार्यकारिणी
ख– आम सभा

कार्यकारिणी –

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र–संघ में प्रबन्धक मुख्य संरक्षक, प्राचार्य संरक्षक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण निदेशक सहित एक पद अध्यक्ष, एक पद उपाध्यक्ष, एक पद महामंत्री एवं एक पुस्तकालय मंत्री सहित कुल सात पदाधिकारी होगें। अध्यक्ष पद पर वही छात्र चुनाव लड़ सकता है जो कम से कम महाविद्यालय में एक वर्ष कक्षा प्रतिनिधि रह चुका हो। छात्र–संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव छात्र–संघ की साधारण सभा के सभी सदस्यों के मतदान द्वारा होगा। किन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव कक्षा प्रतिनिधि ही लड़ सकते हैं।

संकायों की कार्यकारिणी –

स्नातक स्तर पर प्रत्येक संकाय की अलग छात्र परिषद होगी जो महाविद्यालय छात्र–संघ का ही अंग होगी तथा उसके अधीन कार्य करेगी। यह परिषद अपने संकाय के लिए स्वायत्त होगी। संकाय की छात्र–परिषद मे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा एक मंत्री होगें। इसमें सभी विषयों के सभी वर्गों से एक–एक प्रतिनिधि सदस्य होगें। स्नातकोत्तर स्तर पर सभी विषयों की अलग–अलग छात्र परिषद् होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव सम्बन्धित विषय के छात्र–छात्राएं करेंगे। संकायों एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्य महाविद्यालय छात्र–संघ के सदस्य होगें।

कार्यकारिणी का चुनाव –

छात्र संघ के सदस्यों अथवा कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव छात्रों की शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंक तथा शिक्षक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर 5 अंक में से दिए गये अंक के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्ति के आधार पर होगा। सभी विषय के प्राध्यापक अपनी–अपनी कक्षाओं में छात्र/छात्राओं को पढ़ाये गये पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र देगें और उनमें से प्राप्त अंक तथा शिक्षक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर दिये गये अंक के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को उस विषय के उस वर्ग का प्रतिनिधि निर्वाचित कर दिया जायेगा। इस प्रकार स्नातक–परास्नातक के तत्सम्बन्धी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के सभी विषयों के सभी वर्गों से एक–एक सदस्य का निर्वाचन होगा। यही निर्वाचित सदस्य अपने–अपने संकाय में छात्र परिषद के सदस्य होगें। तत्पश्चात प्रत्येक संकाय में कक्षा प्रतिनिधियों के मतदान द्वारा संकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव किया जायेगा जो संकाय की छात्र परिषद् कहलायेगी। यदि किसी संकाय में तीन से कम वर्ग होगें तो वह संकाय दूसरे बड़े संकाय का अंग माना जायेगा। इस प्रकार इन दोनों छोटे संयुक्त संकायों की संयुक्त संकाय छात्र परिषद् होगी।

छात्रसंघ के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्राओं के मतदान द्वारा होगा।

मनोनीत सदस्य –

छात्र–संघ की कार्यकारिणी में महाविद्यालय में सांस्कृतिक क्रिया–कलापों, खेल–कूद आदि अन्य किसी भी आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं में से प्रत्येक गतिविधि से एक–एक कर संरक्षक द्वारा कुल तीन सदस्य मनोनीत किये जायेंगें। मनोनीत सदस्य छात्र–संघ में पदाधिकारी का चुनाव नहीं लड़ सकते।

चुनाव प्रक्रिया –

छात्र–संघ के निदेशक चुनाव अधिकारी होगें। चुनाव के सात दिन पूर्व

महाविद्यालय में चुनाव के तिथि की सूचना दी जायेगी एवं सूचना पट्ट पर उक्त सूचना चस्पा कर दिया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में पूर्ण होगी।

1. प्रथम दिन सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्र–संघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे। उसी दिन सायं 3 बजे से 5 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्रा में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक द्वारा प्रत्याशिता निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशिता प्रारूप पर प्रत्याशी की सहमति भी अनिवार्य होगी।
2. दूसरे दिन प्रातः 9 बजे से 10.30 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात् 11 बजे से 12.30 बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जांच होगी। वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही 1 बजे से योग्यता भाषण प्रारम्भ होगा। जिसमें प्रत्याशी साधारण सभा के समक्ष अपनी बात 10 मिनट में रख सकता है।
3. तीसरे दिन प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक मतदान होगा। अपराह्न 2 बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी। मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री को प्रमाण–पत्र दे देंगे।

चुनाव आचार संहिता –

छात्र–संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे–

(क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर, पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा।

(ख) कक्षाओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।

(ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

(घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।

(ङ) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

वापस बुलाने का अधिकार –

किसी वर्ग से एक बार प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात यदि चुने हुए प्रतिनिधि की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है और विषय अध्यापक उनके पठन–पाठन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो वह उक्त प्रतिनिधि को हटा सकता है किन्तु कक्षा प्रतिनिधि को हटाने से पूर्व छात्र–संघ संरक्षक अथवा प्राचार्य की अनुमति अनिवार्य होगी। छात्र–संघ कार्यकारिणी भी दो तिहाई बहुमत से किसी प्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी को छात्र–संघ के अनुरूप आचरण न करने पर हटा सकती है। छात्र–संघ के सदस्यों/कक्षा प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की छात्र–संघ की कार्यकारिणी की बैठकों में उपस्थिति आवश्यक होगी। लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कक्षा प्रतिनिधि अथवा छात्र–संघ की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। बैठक में अनुपस्थित रहने की कारण सहित पूर्व सूचना लिखित रूप से संरक्षक/प्राचार्य को देनी होगी। तीन दिन की पूर्व सूचना पर पुनः तय प्रक्रिया से रिक्त स्थानों पर चुनाव सम्पन्न होगा। कक्षा प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त होने पर छात्र–संघ के पदाधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री पद पर उस प्रतिनिधि का चुनाव भी शून्य हो जायेगा।

कार्यकारिणी के अधिकार, कर्तव्य तथा बैठकें –

संकाय कार्यकारिणी– संकाय कार्यकारिणी अपने संकाय से सम्बन्धित समस्याओ, छात्र–छात्राओं के व्यवहार, पठन–पाठन की स्थिति पर नजर रखेगी एवं अपनी बैठकों में विचार–विमर्श कर तैयार प्रस्ताव महाविद्यालय छात्र–संघ की आम–सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। संकाय कार्यकारिणी की बैठक निदेशक एवं छात्र–संघ अध्यक्ष की सहमति से संकाय का मंत्री बुलायेगा। बैठक के लिए निदेशक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

छात्र–संघ कार्यकारिणी– महाविद्यालय छात्र–संघ कार्यकारिणी छात्र–संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदैव सक्रिय रहेगी। छात्र–संघ की बैठक प्रत्येक माह में

कम से कम एक बार अवश्य होगी। बैठक में महाविद्यालय से सम्बद्ध विषयों के अतिरिक्त देश–दुनियॉ के सम–सामायिक मुद्दों, अपने देश के शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के विविध पक्षों पर चर्चा–परिचर्चा होगी तथा प्रस्ताव के माध्यम से छात्र संघ उपरोक्त मुद्दो पर अपना मत भी प्रकट करेगा।

आमसभा : अधिकार, कर्तव्य तथा बैठकें – महाविद्यालय के सभी संस्थागत छात्र–छात्राएं आम सभा के सदस्य होगें। महाविद्यालय के प्राध्यापक इस आम सभा के विशिष्ट सम्मानित सदस्य रहेगें। महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्रा की सदस्यता विश्वविद्यालय की परीक्षा देने के तत्काल बाद समाप्त मान ली जायेगी, किन्तु छात्र–संघ के पदाधिकारी छात्र–संघ के नयी कार्यकारिणी के गठन तक महाविद्यालय के छात्र माने जायेगें। मतदान का अधिकार सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को होगा।

छात्र–संघ की आम–सभा छात्र–संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदैव सक्रिय रहेगी। उसकी बैठकों में पारित प्रस्ताव संरक्षक/प्राचार्य क्रियान्वित करेगें। छात्र–संघ की आम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी। सामान्यतः प्रत्येक माह सम्भव होने पर साधारण सभा की बैठक की जा सकती है। साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक/प्रबन्धक अथवा संरक्षक/प्राचार्य करेंगे तथा संचालन छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। उक्त बैठक में निदेशक एवं प्राध्यापक उपस्थित रहेंगें। आम सभा की बैठक में महाविद्यालय से सम्बद्ध विषयों के अतिरिक्त देश–दुनियॉ के अन्य समसामयिक विषयों, देश–समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों, देश की शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर चर्चा–परिचर्चा भी की जायेगी तथा आम सभा उपरोक्त विषयों पर प्रस्ताव के माध्यम से अपना मत प्रकट करेगी।

छात्र–संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रमुख समितियों के सदस्य होंगे। छात्र–संघ कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से सभी प्रमुख समितियों में सदस्य नामित कर उनकी सूची अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य को दिया जायेगा। सभी समितियों की बैठक महीने में एक बार आवश्यक होगी। बैठक की संक्षिप्त रपट छात्र–संघ की प्रतिमाह होने वाली साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छात्र–संघ पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक दिन महाविद्यालय परिसर में श्रमदान अनिवार्य होगा।

छात्र–संघ पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पुस्तकालय से तीन अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त हो सकेंगीं। इन्हें पुस्तकालय से परीक्षा का प्रवेश पत्र लेते समय अनापत्ति लेना आवश्यक नहीं होगा। ये अपनी सभी पुस्तकें सम्बन्धित प्रश्नपत्र की परीक्षा के दिन तक जमा कर सकते हैं। किन्तु इस निर्धारित तिथि तक पुस्तक जमा न करने पर आर्थिक दण्ड के साथ उन्हें महाविद्यालय की समस्त सुविधाओं से वंचित होना होगा तथा आगे कभी भी वे छात्र–संघ पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि नहीं बन सकेगें। महाविद्यालय परिसर में व्यवस्था होने पर छात्र–संघ का स्वतंत्र कार्यालय होगा।

कार्यकाल – महाविद्यालय छात्र–संघ का कार्यकाल एक वर्ष होगा। प्रत्येक सत्र में 07 सितम्बर तक छात्र–संघ का गठन तथा 15 सितम्बर तक शपथ ग्रहण कराना अनिवार्य होगा। शपथ ग्रहण के बाद ही चुनी हुयी कार्यकारिणी वैधानिक मानी जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक छात्र–संघ का कार्यकाल 15 सितम्बर से अगले वर्ष 15 सितम्बर तक होगा। किन्तु यदि छात्र–संघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल दिखती है, महाविद्यालय के पठन–पाठन एवं सुव्यवस्था स्थापित करने में अपनी समर्थता सिद्ध नहीं कर पाता तथा स्वयं समस्या उत्पन्न करता हो तो महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के व्यापक हित में संरक्षक/प्राचार्य की संस्तुति पर मुख्य संरक्षक/प्रबन्धक छात्र–संघ को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकता है तथा उसका आदेश तुरंत प्रभावी माना जायेगा।

शपथ–ग्रहण –

चुनाव के पश्चात छात्र–संघ के मुख्य संरक्षक/संरक्षक सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को शपथ–ग्रहण करायेंगें। शपथ ग्रहण के पश्चात ही छात्र–संघ की कार्यकारिणी वैधानिकता प्राप्त करेगी।

कोष –

छात्र–संघ का एक कोष होगा। छात्र/छात्राओं से 100 रू. छात्र–संघ शुल्क लिया जायेगा। छात्र–संघ के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होगा। खाते का संचालन महामंत्री एवं संरक्षक/प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से

होगा। प्रतिवर्ष का आय–व्यय का अंकेक्षण अनिवार्य होगा और प्रत्येक सत्र की पहली साधारण सभा में आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत कर उस पर साधारण सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी। आय–व्यय की स्वीकृत छात्र–संघ अध्यक्ष द्वारा बुलाई गयी कार्यकारिणी तथा संरक्षक/प्राचार्य की संयुक्त सहमति से होगी। आय–व्यय का विवरण एवं अंकेक्षण छात्र–संघ महामंत्री के जिम्मे होगा।

संविधान में संशोधन एवं परिवर्तन–

आम सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा छात्र–संघ संविधान में यदि किसी संशोधन या परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और दो तिहाई बहुमत से पारित होता है, ऐसी दशा में छात्रसंघ संविधान में संशोधन एवं परिवर्तन हेतु संरक्षक/प्राचार्य द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें संरक्षक/प्राचार्य की अध्यक्षता में सभी छात्र–संघ पदाधिकारी, मुख्य नियन्ता, छात्र–संघ निदेशक, छात्रा प्रभारी सदस्य होंगे। यह समिति 15 दिन के अन्दर बैठक कर सर्वसम्मति अथवा बहुमत से सुझाये गये संशोधनों अथवा परिवर्तनों पर विचार कर सर्वसम्मति अथवा बहुमत से निर्णय लेकर संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रारूप निर्धारित करेगी। यह निर्धारित प्रारूप अगली छात्र–संघ की आम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और पुनः दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होने पर ही छात्र–संघ संविधान का अंग बनेगा।

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, के छात्र–संघ की 16 दिसम्बर 2010 को सम्पन्न आम सभा में गठित छात्र–संघ 'संविधान संशोधन समिति' द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2010 की बैठक में विचार–विमर्श कर छात्र–संघ के मूल संविधान में अनेक संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ छात्र–संघ की संविधान की मूल भावना में बिना किसी परिवर्तन के आज दिनांक 3 जनवरी 2011 की आम सभा में संशोधित छात्र–संघ संविधान प्रस्तुत किया गया। संविधान संशोधन एवं परिवर्तन के साथ पुनर्लिखित छात्र–संघ संविधान को हम सभी सर्व सम्मति से स्वीकार करते हैं।

छात्र–छात्राओं एवं छात्रसंघ कार्यकारिणी की मांग पर 04 जुलाई 2017 को प्राचार्य द्वारा गठित 15 सदस्यीय छात्रसंघ संविधान संशोधन समिति द्वारा 24

जुलाई 2017 को सम्पन्न बैठक में छात्रसंघ संविधान संशोधन 2017 की संस्तुति की गई। छात्रसंघ कार्यकारिणी नें कुछ संशोधनो के साथ छात्रसंघ संविधान संशोधन 2017 बहुमत से पारित कर दिया। 01 अगस्त 2017 की साधारण सभा नें कुछ अन्य संशोधनों के साथ छात्रसंघ सविधान संशोधन 2017 बहुमत से पारित किया। छात्रसंघ साधारण सभा द्वारा पारित संशोधनो के पश्चात् पुर्नलिखित छात्रसंघ संविधान को आज हम सभी स्वीकार करते हैं।

01 अगस्त 2017 सभी विद्यार्थी

छात्र–संघ संविधान संशोधन समिति के हस्ताक्षर

1. संरक्षक / प्राचार्य	डॉ0 प्रदीप कुमार राव
2. मुख्य नियन्ता	डॉ0 आर.एन. सिंह
3. छात्रसंघ प्रभारी	श्री नन्दन शर्मा
4. शिक्षक कला संकाय	डॉ0 विजय कुमार चौधरी
5. शिक्षक विज्ञान संकाय	डॉ0 शिव कुमार बर्नवाल
6. शिक्षक वाणिज्य संकाय	श्री वागीश राज पाण्डेय
7. शिक्षक बी.एड. संकाय	श्रीमती पुष्पा निषाद
8. छात्रा प्रमुख	सुश्री मनीता सिंह
9. अध्यक्ष, छात्रसंघ	श्री सिद्धार्थ कुमार शुक्ल
10. उपाध्यक्ष, छात्रसंघ	सुश्री प्रगति मिश्रा
11. महामंत्री, छात्रसंघ	श्री अनुराग त्रिपाठी
12. छात्र, कला संकाय	सुश्री प्रियंका गुप्ता
13. छात्र, विज्ञान संकाय	सुश्री प्रियंका चौहान
14. छात्र, बी.एड. संकाय	सुश्री मनता सिंह
15. पुरातन छात्र परिषद्	श्री दिपक कुमार

❖❖❖❖❖❖❖